न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/03/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/9

अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री लालजी शर्मा,
नि0 खेरली रेल, तहसील–कठूमर (अलवर)–321606

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 06.01.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08.02.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 20.11.2021 के द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर से राशनकार्ड सं. 007382600064 वाके ग्राम–खेरली रेल के संदर्भ में जानकारी/सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर इस न्यायालय स्तर पर प्रथम अपील संस्थित कराई है।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 20.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 20.11.2021 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 08.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर